



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयायजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

Ph : 0751-2970519 (O) 0751-2970522 (Fax)

E-mail- registrar.rvskvv09@gmail.com

कुलसचिव

क्र./कु.स./शैक्ष.पि. बैठक/अ.सू./2019/4471

दिनांक 15.11.19

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद् की 45वीं बैठक दिनांक 21.10.2019 के पद क्रमांक 09 में लिए गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक नियम 3.2 के अनुसार किसी विद्यार्थी द्वारा निर्धारित तिथि पर पंजीयन न करा पाने की स्थिति में अधिष्ठाता द्वारा निर्धारित तिथि के बाद 10 कार्य दिवस तक तथा उसके बाद अधिष्ठाता कृषि संकाय द्वारा अतिरिक्त 10 कार्य दिवस तक पंजीयन कराने की अनुमति प्रदान की जाती है। वर्तमान में छात्रों का पंजीयन Online किया जा रहा है इसलिए शैक्षणिक नियम 3.2 में निम्न आंशिक संशोधन किये जाने का शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया:-

Academic rule 3.2 presently states that"

Late payment of fee and registration of courses shall be permitted by the Dean of the College up to ten working days following the prescribed date of registration. Late registration fee shall be Rs. 50/- for each subsequent day. However, Dean of the concerned Faculty may permit late registration up to next ten working days after the prescribed date on special grounds with late fees, for which a student shall have to pay late fee @ 200 Rs. Per day

Modified Academic rule 3.2

Late payment of fee and registration of courses shall be permitted by the Dean of the College up to ten days following the prescribed date of registration. Late registration fee shall be Rs. 50/- for each subsequent day. However, Dean of the concerned Faculty may permit late registration up to next ten days after the prescribed date on special grounds with late fees, for which a student shall have to pay late fee @ 200 Rs. Per day.

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,

कुलसचिव

दिनांक 15.11.19

पृष्ठा.क्र./कु.स./शैक्ष.पि. बैठक/अ.सू./2019/4472

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक, शिक्षण, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/सीहोर/खंडवा/मंदसौर।
4. उप कुलसचिव (शिक्षण/स्थापना), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. नोडल अधिकारी, आई.यू.एम.एस., रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
6. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव